फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 74 संख्याः 02 प्रभात जयपुर, बुधवार 2 अगस्त, 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 3.50 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

FISHING IN NOT SO TROUBLED WATERS (...1)

Controls of the complex systems of the submarine is located even in the ruddy toilet, due to lack of space

Being A Supportive Partner

Whether they're struggling with a big or small issue, this is how you can be as helpful as possible.

राजस्थान में बढ़ रहे महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेपर लीक और किसान कर्ज़माफी नहीं करने जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा ने मंगलवार को राजधानी जयपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सरदार पटेल मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय पर हुई जनसभा में प्रदेशभर से हजारों लोग उमड़े। प्रदेश प्रभारी व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुमेधानंद सरस्वती ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं, प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शामिल नहीं होने को लेकर चर्चाएं भी होती रहीं। भाजपा कार्यालय से निकलकर कार्यकताओं ने जब सचिवालय घेराव की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें स्टैच्यू सर्किल पर रोक लिया और वॉटर कैनन चलाकर भीड़ को खदेड़ा। इसके बाद भाजपा नेताओं ने विरोध जताते हुए गिरफ्तारियां भी दीं। **(विस्तृत समाचार पेज नम्बर दो पर पढ़ें।)**

'मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गयी'

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि, मणिपुर के पुलिस महानिदेशक 7 अगस्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर, इस बारे में न्यायालय के सवालों का जवाब दें

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर कीजातीय हिंसा, जिसमें महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, के कारण संविधान के ठप्प होने पर गौर करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को 7 अगस्त से पहले व्यक्तिगत रूप से पेश होकर पुलिस की गलतियों पर प्रश्नों के उत्तर देने को कहा।

जांच को धीमी और सुस्त बताते हुए मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चन्द्रचूड़ ने कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज होने और बयान दर्ज करने में देर हुई है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा ''जांच की आवश्यक प्रकृति कोर्ट को समझाने के लिए हम मणिपुर के डी.जी.पी. को निर्देश देते हैं कि वे सोमवार को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहें और कोर्ट के सवालों के जवाब दें।''

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से विपक्ष को और हथियार मिलेगा जो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली बैंच ने कहा, जांच बहुत सुस्त है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बयान इतने समय बाद रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इससे लगता है कि मई के आरंभ से जुलाई का अंत तक कोई कानून नहीं था। संवैधानिक मशीनरी ठप्प पड़ गई। शायद यह सही ह कि गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हुई कि पुलिस उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन कानून-व्यवस्था तो पूरी तरह ठप्प हो गई।''

बैंच ने 20 जुलाई को एक वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया था जिसमें दंगाग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा वह 6523 एफ.आई.आर. को हत्या, बलात्कार, बलात्कार एवं हत्या, आगजनी, लूटपाट, संपत्ति नष्ट करने, महिलाओं का शीलभंग, पूजास्थलों को नष्ट करने जैसे अपराधों में अलग-अलग बांट दें। **(शेष अंतिम पृष्ठ पर)**

- सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि, वारदात के बाद मई माह के आरंभ से जुलाई के अंत तक इतनी कमजोर और धीमी गति से जांच हुई थी, जैसे कोई कानून ही नहीं लागू है मणिपुर में।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, 6523 एफ.आई.आर. दर्ज हुईं और अब सी.बी.आई. को जांच सौंपी गयी है, पर लगता नहीं कि, सी.बी.आई. इतनी सारी एफ.आई.आर. की जांच कर पायेगी, अतः सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजों का पैनल गठित कर सकता है, इस पूरे मामले में।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया कि, इतनी भयावह, घृणित व भारी हिंसा हुई है कि, सुप्रीम कोर्ट एक एस.आई.टी. गठित कर इस घटनाक्रम की गहराई से जांच करवा सकता है।

क्या रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम गिराने की सोच रहा है?

दिमित्री मेदवेदेव, जो 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति थे तथा अब पुतिन के विश्वासी दायां हाथ हैं, ने यह चेतावनी दी

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अगस्त। लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के बीच रूस द्वारा यूक्रेन को घुटनों पर लाने के उद्देश्य से कई बार परमाणु हथियारों की धमकी दी गई है। अभी तक सब थोथी ही साबित हुई है।

रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की नवीनतम धमकी भी ऐसी ही थोथी हो सकती है। लेकिन यह उन खबरों के बाद आई है कि यूक्रेन नाटो की मदद से भारी जवाबी हमले की योजना बना रहा है इसलिए इस धमकी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।

यह विशेषकर अनिष्टकारी है। यह देखते हुए कि रूस क पास हथियारों का भारी जखीरा है। रूस के पास 4477 स्थापित और आरक्षित परमाणु हथियार हैं जिनमें से 1900 घातक हथियार हैं। यह जानकारी फैडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने दी है।

राष्ट्रपति पुतिन के निकट सहयोगी मेदवेदेव ने कहा बताया कि अगर जवाबी हमला सफल हो गया और इसमें रूस का कुछ भाग हथिया लिया जाता है तो, ''हमें रूस के राष्ट्रपति के आदेशानुसार परमाणु हथियारों का उपयोग करना होगा।

मेदवेदेव ने कहा, ''उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। हमारे शत्रुओं को हमारे सैनिकों से प्रार्थना करनी चाहिए कि दुनिया को परमाणु की लपटों में न धकेले। मेदवेदेव 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रहे। वे कई बार परमाणु हमले की बात कह चुक हैं।

पश्चिमी मीडिया की खबरें कहती हैं कि गत अप्रैल में स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होते हैं तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। हेलसिंकी माह के अंत में इस रक्षा गठबंधन में शामिल हो गया जबकि स्टॉकहोम का नाटो में जाने का रास्ता साफ हुआ जब तुर्की ने अपने ऐतराज वापस ले लिए।

सितंबर में मेदवेदेव ने कहा था कि रूस की सीमा के क्षेत्रों को यूक्रेन से बचाने के लिए रणनीतिक परमाणु हथियारों का उपयोग किया जा सकता है और जनवरी में जब नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को नए हथियार भेजने पर पर विचार कर रहे थे तब मेदवेदेव ने कहा था कि युद्ध में रूस की हार का नतीजा परमाणु युद्ध हो सकता है।

मेदवेदेव ने जनवरी में टेलीग्राम मैसेंजर सर्विस पर लिखा, ''एक परंपरागत युद्ध में एक परमाणु शक्ति की हार से परमाणु युद्ध भड़क सकता है। परमाणु शक्तियाँ ऐसे प्रमुख विवाद नहीं हार सकतीं जिससे उनका भाग्य जुड़ा है।

मेदवेदेव के वक्तव्य से पहले रूस के रक्षा मंत्री ने कीव पर ड्रोन से मॉस्को पर हमले का आरोप लगाया था। रविवार को तीन ड्रोन बीच में रोके गए लेकिन मॉस्को के पश्चिम में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान पर हमला हुआ।

गत माह पुतिन ने कहा था कि रूस रणनीतिक परमाणु हथियारों की पहली खेप बेलारूस पहुंचा चुका है जहां वे रोकथाम के लिए लगाए गए हैं।

सैंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि रूस जो बाकी हथियार बेलारूस पहुंचाना चाहता है वे गर्मी के अंत तक या इस वर्ष के अंत तक पहुंच जाएंगे।

अमेरिका की डिफैंस इंटैलिजेंस एजेन्सी ने कहा है कि उसके पास पुतिन के इस दावे पर संदेह करन का कोई कारण नहीं है कि परमाणु हथियार बेलारूस में हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने उस समय कहा था कि ''हमें अपने परमाणु रवैये को समायोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे कोई संकेत नहीं है कि रूस परमाणु हथियार काम में लेने की तैयारी कर रहा है।

बेलारूस के राष्ट्रपति एलैक्जेंडर लुकाशेंको ने गत माह कहा था कि हमले की स्थिति में वे बेलारूस की धरती पर तैनात रणनीतिक रूसी परमाणु हथियारों का उपयोग करने से वे नहीं हिचकेंगे।

लेकिन डी.आई.ए. के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वे नहीं मानते कि लुकाशेंकों का हथियारों पर कोई नियंत्रण है। उन पर रूस का ही नियंत्रण होगा।

- इस चेतावनी को गंभीरता से इसलिये लिया जा रहा है, क्योंकि काफी चर्चा है कि, यूक्रेन नाटो की मदद से रूस के खिलाफ ''पलट आक्रमण'' (काउन्टर ऑफैन्सिव अटैक) करने वाला है।

क्या आपको कम सुनाई देता है।
ऑटोमेटिक कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
कॉकलियर इम्पलांट, ऑटिजम
डिले स्पीच, हकलाना, तुतलाना
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
सम्पर्क- 94602 07080

सी.एम. गहलोत के खिलाफ समन पर रोक से इन्कार

जयपुर, 1 अगस्त (का.सं.)। दिल्ली की राउज़ एवेन्यु की विशेष अदालत ने, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह व उनके परिवारजनों के खिलाफ की गई बयानबाजी के आपराधिक मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार **(शेष अंतिम पृष्ठ पर)**

- दिल्ली के राउज़ एवेन्यु की विशेष अदालत ने एक आपराधिक मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने को कहा है। यह केस केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह ने संजीवनी क्रेडिट मामले में गहलोत की बयानबाजी के खिलाफ दर्ज करवाया है।

यू.पी. में साम्प्रदायिक व विवादित बयान बाजी चरम सीमा पर!

एक तरफ मु.मंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ज्ञानवापी पूजा स्थल को मस्जिद कहने से विवाद भड़केगा

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अगस्त। चुनावी लिहाज़ से भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वह ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद का ''कोई समाधान प्रस्तुत करे।'' उन्होंने कहा कि ''ज्ञानवापी की दीवारें चीख रही हैं तथा इसे मस्जिद कहने से विवाद पैदा होगा।

समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले भाजपा में थे, ने यह कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि बहुत से मंदिर, जिनमें बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिर भी शामिल हैं, बौद्ध मठों को ध्वस्त करके बनवाने गये थे। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने यह कहकर तिक्तता और भी बढ़ा दी है कि भाजपा नेता 2024 के चुनाव जीतने के लिये किसी भी चाल या दाँव का सहारा ले सकते हैं, जैसे- अयोध्या के मंदिर पर बम के हमले की व्यवस्था कर लें या किसी महत्वपूर्ण पार्टी नेता को मरवा दें।

ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ का यह बयान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस याचिका पर निर्णय देने से पहले **(शेष अंतिम पृष्ठ पर)**

- दूसरी ओर सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि, बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर, सातवीं/आठवीं शताब्दी में बौद्ध विहार/आश्रम थे, जिन्हें नष्ट करके, उनके स्थान पर मंदिर बनाये गये हैं।
- स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी लय में आगे कहा कि, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, अयप्पा मंदिर पंढरपुर का विठोबा मंदिर भी बौद्ध मठ थे, जिन्हें तोड़ कर उन पर हिन्दू पूजा स्थल बनाने गये हैं।
- मायावती ने कहा, ये बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने तब क्यों नहीं उठाईं, जब वे भाजपा में थे। अब सपा से जुड़ने के बाद, इन बातों को उछालना केवल चुनाव में लाभ हानि की सोच का परिणाम है।
- पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने और भी आगे बढ़ कर कहा, भाजपा चुनाव जीतने के लिये कुछ भी कर सकती है। यहां तक कि, अयोध्या राम मंदिर पर बम भी गिरा सकती है।

अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को चर्चा होगी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अगस्त। विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को चर्चा होगी तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त को बहस का जवाब देंगे।

सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा पेश किये गये अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर चर्चा की तिथि के निर्धारण पर यह निर्णय लोकसभा की बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में मंगलवार को लिया गया, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने की।

सूत्रों ने आगे कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा के तिथि निर्धारण में सत्तारूढ़ दल की इस इच्छा को मद्दे नजर रखा गया है कि इस पर **(शेष अंतिम पृष्ठ पर)**

- प्रधानमंत्री 10 अगस्त को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देंगे।

'गलत टैस्ट रिपोर्ट का मतलब होता है गलत इलाज'

फर्जी लैब का मामला केवल कानूनी या गैर कानूनी नहीं, यह मरीज के लिये जानलेवा साबित हो सकता है

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 1 अगस्त। फर्जी मैडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाली मैडिकल लैब्स केवल गैर कानूनी तरीके से पैसे ऐंठने का ही कृत्य नहीं करतीं बल्कि जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करती हैं। जिन लैब्स से गलत रिपोर्ट जारी होती है वे जाँच करा रहे मरीज को सही समय पर सही इलाज करवाने से वंचित करती है जो जानलेवा भी हो सकता है। मरीज़ की मैडिकल रिपोर्ट ही उसका मैडिकल ट्रीटमैंट निर्धारित करती है।

फर्जी लैब्स सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को कैसे प्रभावित करती हैं, इस श्रृंखला में आगे बताया गया है। फर्जी मैडिकल लैब्स के कारोबार से भारी नुकसान होता है जिसकी रोकथाम के लिए ही कड़े व विस्तृत कानून लाए गए हैं, जिनको लागू करवाना राज्य के स्वास्थ्य विभाग का ही दायित्व है। लेकिन राज्य सरकार जानते-बूझते कैसे इन नियमों का उल्लंघन कर रही है, आज की खबर में उस बारे में जानकारी दी गई है।

जैसा कि विदित है कि वर्ष 2018 में केन्द्र सरकार ने मैडिकल लैब्स के मानक तय कर दिए थे। इन मानकों को केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020 में पुनः संशोधित भी किया था। इन मानकों में लैब्स को बड़ी, छोटी एवं मध्यम स्तर में विभाजित किया गया है। इन्हीं मानकों में से एक है कि, छोटी लैब्स (बेसिक लैब्स) में एम.सी.आई. या राज्य स्तर की मैडिकल काऊंसिल में रजिस्टर्ड एम.बी.बी.एस. डॉक्टर, जिनके पास मैडिकल लैब्स में कार्य करने का कम- से- कम एक साल का अनुभव हो, 'बेसिक' लैब्स में तैयार की जा रही मेडिकल टैस्ट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वर्ष 2020 में जारी किए गए मानकों में कहा गया है कि माध्यमिक और बड़े स्तर की लैब्स में एम.डी. या डिप्लोमा ऑफ नैशनल बोर्ड या डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलॉजी कर चुके डॉक्टर्स, जो एम.सी.आई. या राज्य स्तरीय मैडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, वे इन लैब्स द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित मानकों में पैथोलॉजी, माईक्रोबॉयोलॉजी क्षेत्रों में एम.एस.सी. या पी.एच.डी. कर चुके व्यक्ति, टैस्ट रिपोर्ट जारी कर सकते हैं परंतु ऐसी लैब के संचालकों को या स्वयं एम.एस.सी. या पी.एच.डी. कर चुके व्यक्तियों को, रिपोर्ट के नीचे यह 'डिसक्लेमर' भी देना होता है कि उनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट केवल चिकित्सकों के उपयोग के लिए है ना कि किसी व्यक्ति विशेष का चिकित्सीय निदान का आंकलन है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में आदेश दिया था कि केवल एम.डी. (डॉक्टरेट ऑफ मैडिसन) कर चुके डॉक्टर ही मैडिकल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए योग्य हैं और वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मानक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की पूरी तरह पालना नहीं करते।

क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट के तहत बने रूल्स के अनुसार चिकित्सा विभाग को प्राईवेट मैडिकल लैब्स, चाहे बड़ी, छोटी या माध्यमिक स्तर की, का स्थायी पंजीयन करना होता है। स्थायी पंजीयन करने के लिए भी विभाग को लैब के संचालक, लैब का पता, लैब में **(शेष अंतिम पृष्ठ पर)**

- सरकार की यह दलील थोथी है कि, सभी टैस्ट लैब्स पर निगरानी रखने के लिये उसके पास फंड नहीं है, क्योंकि, अगर सही रिपोर्ट उपलब्ध कराने की गारंटी सरकार नहीं दे सकती तो सही इलाज की गारंटी कहां से देगी। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में इसका उल्लेख किया जा चुका है।
- क्योंकि लैब्स के पंजीकरण के संबंध में सन् 2020 में ही मानक तय कर दिए गए थे, राज्य सरकार को प्रदेश की सभी मैडिकल लैब्स का पंजीकरण 2022 तक कर देना चाहिए था, जो कि अभी तक भी नहीं हुआ है।
- नियम के अनुसार, राज्य सरकार को प्रदेश के सारे जिलों, जिनमें जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं, की लैब्स का पंजीकरण कर यह जानकारी केन्द्र सरकार के साथ साझा करनी थी और अखबारों में भी प्रकाशित करनी थी, परन्तु दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि, राज्य सरकार जान बूझ कर अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ रही है।

शिव सेना मसले की त्वरित सुनवाई नहीं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिका पर त्वरित सुनवाई मंगलवार को इन्कार कर दिया। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग द्वारा प्रतिद्वंदी शिंदे गुट को असली शिव सेना के रूप में मान्यता दने और पार्टी का अधिकृत चुनाव चिन्ह तीर-कमान आवंटित करने के खिलाफ याचिका दायर की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने चीफ जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच के समक्ष मामला रखा और त्वरित सुनवाई की मांग की। बैंच, जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी **(शेष अंतिम पृष्ठ पर)**

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, संवैधानिक बैंच पहले जम्मू-कश्मीर केस की सुनवाई कर ले उसके बाद शिव सेना का केस सुना जाएगा।